न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 01/2018

अपीलांट	बनाम रैस्पोंडेन्ट
1. बलराज सिंह पुत्र लाभ सिंह जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।	1. ग्राम पंचायत 6 एफ ए रडेवाला जरिए सरपंच ग्राम पंचायत 6 एफ ए रडेवाला पंचायत समिति एंव तहसील श्रीकरणपुर।

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 109 चक 8 एफ ए

तारीख रजू - 15.01.2018

उपस्थितः 1.श्री दलजीत बराड अपीलांट अधिवक्ता

--निर्णय-- दिनांकः 02/10/21

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता लाभ सिंह के दो भाई बाघ सिंह व गुरदास सिंह उर्फ गुरबख्श सिंह उर्फ मान सिंह थे। अपीलान्ट के पिता लाभ सिंह व उनके भाई बाघ सिंह ने अपने तीनों भाईयों की मुश्तर्का खाते में दर्ज चक 10 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 51 के 5 बीघा, चक 7 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 41 के 25 बीघा व चक 8 एफ ए के कुल खाता 1235 हिस्सा यानि 61 बीघा 15 बिस्वा भूमि के बंटवारा को लेकर श्रीमान् के न्यायालय में एक दावा अनवान लाभ सिंह आदि बनाम गुरदास सिंह आदि धारा अन्तर्गत 53,88 आरटीए मिसल नम्बर 122/1990 पेश किया। अपीलान्ट के पिता लाभ सिंह की दौराने दावा मृत्यू हो जाने पर अपीलान्ट बलराज सिंह को लाभ सिंह का एक मात्र वारिस होने के नाते उक्त बतौर वादी वादपत्र के रिकॉर्ड पर लिया गया। अन्त में श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.1999 को उक्त वादपत्र स्वीकार कर दिनांक 15.03.1999 को निर्णय एंव दिनांक 24.03.1999 को डिक्री पारित करते हुए आदेश पारित किया गया कि वादी संख्या 1 बलराज सिंह पुत्र लाभ सिंह को चक 8 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 28 की 24 बीघा 5 बिस्वा आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है व वादीगण संख्या 2 ता 4 को चक 8 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 30 के 24 बीघा 10 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1 के 14 बिस्वा, किला नम्बर 10 के 16 बिस्वा एंव चक 10 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 6 ता 10 (5 बीघा) कुल 31 बीघा का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज हो। उक्त आदेश दिनांक 16.03.1999 एंव डिक्री दिनांक 24.03.1999 की पालना में सरपंच ग्राम पंचायत 6 एफ ए रडेवाला द्वारा इन्तकाल संख्या 109 दर्ज किया गया जो गलत व विधि विरूद्ध दर्ज किया गया है, चूंकि उक्त निर्णय व डिक्री अनुसार बलराज सिंह पुत्र लाभ सिंह के नाम चक 8 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 24 बीघा 5 बिस्वा भूमि का इन्तकाल दर्ज किया जाना था, लेकिन उक्त इन्तकाल संख्या 109 उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में कतई दर्ज नहीं किया गया, बल्कि उक्त नामान्तरण के कॉलम संख्या 14 में [illegible] दर्ज कर दिया गया व कॉलम संख्या 16 में भी सही तथ्य दर्ज न करके [illegible] ठनीय इन्तकाल दर्ज कर दिया गया। उक्त इन्तकाल को निरस्त [illegible] सही इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना विधिसम्मत है। [illegible] कॉलम संख्या 9 में [illegible] फौत 485 हिस्सा तथा इसके नीचे [illegible] 485 हिस्सा कौम जटसिख [illegible] रडेवाला खातेदार बाकी खाता बदस्तूर जमाबन्दी दर्ज करते हुए 485 हिस्सा यानि कि 24 बीघा 5 बिस्वा का इन्तकाल अपीलान्ट के नाम साझा खाता में मुश्तर्का दर्ज किया गया है, जबकि डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:12:49 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

अनुसार अपीलान्ट के नाम चक 8 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 28 के 24 बीघा 5 बिस्वा रकबा का इन्तकाल दर्ज होना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। दिनांक 01.01.2018 को अपीलान्ट को किसी कार्यवश जमाबन्दी की जरूरत हुई थी तो अपीलान्ट को उक्त गलती का पता चला अपीलान्ट ने दिनांक 01.01.2018 को हलका पटवारी से इन्तकाल संख्या 109 की नकल प्राप्त की ज्ञान दिनांक से समयावधि के अन्दर-अन्दर अपील प्रस्तुत कर दी है। इन्तकाल संख्या 109 सरपंच ग्राम पंचायत 6 एफ ए रडेवाला द्वारा स्वीकृत हुआ है इसलिए श्रीमान जी के न्यायालय को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार हासिल है। अपील पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 109 चक 8 एफ ए निरस्त फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 15.03.1999 एवं डिक्री दिनांक 24.03.1999 की पालना में किलावाईज इन्तकाल दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 सरपंच ग्राम पंचायत 6 एफ ए रडेवाला के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर आदेशिका पर अंकित किया कि अपील स्वीकार की जाती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अपील के सम्बन्ध में कार्यालय तहसीलदार श्रीकरणपुर के क्रमांकः 9439 दिनांक 04.03.2020 को रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार संलग्न पटवारी हलका रडेवाला रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ चक 8 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 28 के 6.135 हैक्टर रकबा पर बलराज सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला का ही कब्जा काश्त है। उक्त खाता के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर द्वारा दिनांक 15.03.1999 को एक डिक्री धारा 88, 53 आरटीए के तहत जारी की गई थी। जिसकी पालना में तत्कालीन पटवारी द्वारा चक 8 एफ ए का इन्तकाल नम्बर 101 दर्ज किया गया था जो मुताबिक डिक्री किलावाईज ना करके हिस्सावाईज दर्ज कर दिया गया था। मूल वादी लाभ सिंह के फौत होने से उसके पुत्र बलराज सिंह के नाम डिक्री जारी हुई थी। परन्तु इन्तकाल नम्बर 101 में लाभ सिंह के नाम ही रकबा हिस्सा में दर्ज कर दिया गया जिसका बाद में इन्तकाल नम्बर 109 से विरासत दर्ज करके लाभ सिंह के स्थान पर बलराज सिंह पुत्र लाभ सिंह 485 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। वादी द्वारा बाद में इन्तकाल संख्या 109 खारिज करके मुताबिक डिक्री इन्तकाल दर्ज करने की मांग की है। वर्तमान खाता संख्या 23 के सहखातेदार लाभ सिंह, प्रीतम सिंह पिसरान करतार सिंह बनाम प्रीतम सिंह पुत्र बाघ सिंह आदि के बीच एक वाद माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन होना व स्थगन होना बताया गया है, जो मुरब्बा नम्बर 29 व 30 से सम्बन्धित बताया गया है।

बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा निर्णय दिनांक 15.03.1999 व डिक्री दिनांक 24.03.1999, चक 8 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 20/22 के मुरब्बा नम्बर 28, 29, 30, 57/19, 57/20, जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 23/20 के मुरब्बा नम्बर 28, 29, 30, 57/19, 57/20, चक 8 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 28 व 29 की माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में लम्बित स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति का भली भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर [illegible] किया। पत्राव[illegible] साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है। हाजा न्याय[illegible] [illegible]दास सिंह उर्फ गुरबक्स सिंह उर्फ मल सिंह आदि [illegible] 88, 53 आर[illegible] दिनांक 15.03.1999 को डिक्री दिनांक 24.03.1999 को जारी की गई। जिसमें [illegible] सिंह पुत्र लाभ सिंह को चक 8 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 28 की 24-05 बीघा आराजी का [illegible]दार काश्तकार घोषित किया गया हैं। परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत 6 एफ ए रडेवाला द्वारा इन्तकाल संख्या 109 डिक्री की पालना में बलराज सिंह की भूमि किलावाईज न दर्ज करके हिस्सा वाईज दर्ज कर दी गई। जो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:12:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गलत व विधिविरूद्ध दर्ज की गई। जबकि डिक्री का इन्तकाल तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में था। अपीलांट के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर शपथ पत्र पेश किया। जिसमें कथन किया कि चक 8 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 28 की 6.135 हैक्टर भूमि बाबत किसी भी न्यायालय में कोई भी स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है और ना ही उक्त भूमि का कही भी कोई विवाद है। यदि मिकर द्वारा दिये गए तथ्य गलत पाये जाते है तो हर प्रकार की जिम्मेवारी मुझ मिकर की होगी। पटवारी हलका की रिपोर्ट के मुताबिक बलराज सिंह पुत्र लाभ सिंह का चक 8 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 28 की 6.135 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त बताया गया है। अतः इन्तकाल संख्या 109 खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलान्ट भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर इन्तकाल संख्या 109 चक 8 एफ ए निरस्त करने व निर्णय दिनांक 15.03.1999 व डिक्री दिनांक 24.03.1999 की पालना नियमानुसार किये जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 02/10/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन आपके द्वार अभियान- 2021, राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत 3 ओ में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:12:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005

ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– राजस्व/2021/७५५ — दिनांक :– २/१०/२०२१

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः– प्रकरण संख्या 01/2018 अनवान बलराज सिंह बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 6 एफ ए रडेवाला अन्तर्गत धारा अपील विरूद्ध इन्तकाल में पारित **निर्णय दिनांक 02.10.2021 संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 02.10.2021 के अनुसार अपीलांट की अपील को स्वीकार किया जाकर इन्तकाल संख्या 109 चक 8 एफ ए निरस्त करने व निर्णय दिनांक 15.03.1999 व डेक्री दिनांक 24.03.1999 की पालना नियमानुसार किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:12:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner